कारोबार दायित्व रिपोर्ट

खंड कः कंपनी से संबंधित सामान्य सूचना

1.	कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1969GOI005095
2.	कंपनी का नाम	आरईसी लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	कोर–4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत
4.	वेबसाइट	www.recindia.nic.in
5.	ईमेल आईडी	complianceofficer@recl.in
6.	रिपोर्टिंग का वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21
7.	कंपनी के कार्य क्षेत्र (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड–वार)	आरईसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है। कंपनी के कारोबार क्रियाकलाप राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के समूहः 649; श्रेणीः 6492; उप–श्रेणीः 64920 (अन्य वित्तीय सेवा क्रियाकलाप – अन्य क्रेडिट ग्रांटिंग) के अंतर्गत आते हैं।
8.	कंपनी के विनिर्माण/दी जा रही सेवा के प्रमुख उत्पाद/सेवाएं (तुलन पत्र के अनुसार)	आरईसी उत्पादन (पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा दोनों), पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत परियोजनाओं से फारवर्ड अथवा बैकवर्ड लिंकेज के कार्यों सहित समग्र विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की परियोजनाओं और योजनाओं के वित्तपोषण में शामिल है। आरईसी के प्रमुख उत्पादों में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के लिए रुपे सावधि ऋण, अल्पावधिक और मध्यावधिक ऋण इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, आरईसी डीडीयूजीजेवाई (दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना), सौभाग्य (प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना) एवं एनईएफ (राष्ट्रीय विद्युत निधि) जैसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय, की राष्ट्रीय महत्व की कुछ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी अथवा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी आत्मनिर्भर भारत के तहत विभिन्न डिस्कॉमों को लिक्विडिटी निषेचन भी प्रदान करती है।
9.	उन स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कारोबार क्रियाकलाप किए जाते हैं (क) अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या (ख) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या	आरईसी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में एवं कारपोरेट कार्यालय गुरूग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त, आरईसी के भारत में 22 क्षेत्रीय कार्यालय, राज्य कार्यालय, उप–कार्यालय बंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, पंचकुला, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, तिरूवनंतपुरम, वडोदरा, वाराणसी एवं विजयवाड़ा में हैं और हैदराबाद में आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) नामक एक प्रशिक्षण संस्थान है। कंपनी का वर्तमान में कोई अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय नहीं है।
10.	कंपनी किस बाजार में कार्य कर रही है – स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	कंपनी भारतीय बाजारों में अपनी सेवाएं दे रही है तथा इसके कारोबार सम्पूर्ण देश में विस्तारित हैं। संसाधन एकत्रण के उद्देश्य से, कंपनी घरेलू बाजारों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अवसरों की तलाश करती है। आरईसी ने भूटान में खोलोंगच्छू हाइड्रो एनर्जी लि. की 600 मेगावाट हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना के लिए ऋण भी संस्वीकृत किया है।

खंड खः कंपनी का वित्तीय विवरण (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)

1.	प्रदत्त पूंजी	1,974.92 करोड़ रूपए
2.	कुल टर्नओवर	35,387.89 करोड़ रूपए
3.	करों के पश्चात कुल लाभ	8,361.78 करोड़ रूपए
4.	कर पश्चात लाभ के प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर किया गया कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने 144.32 करोड़ रूपए का (पिछले तीन निकटतम वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ पर 2% की दर से परिकलित) कारपोरेट सामाजिक दायित्व बजट आवंटित किया था। इसी के प्रति, आरईसी ने विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए 154.47 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत और 147.77 करोड़ रुपये वितरित किए थे। संवितरण की राशि पूर्व परिभाषित मानदंडों और स्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए देय से संबद्ध है।
5.	उन क्रियाकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त 4 में व्यय किए गए हैं।	जिन प्रमुख क्षेत्रों में सीएसआर व्यय किए गए हैं, उनमें पीएम केयर फंड में अंशदान के अलावा स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल एवं जीविका उत्पत्ति, वृद्धाश्रमों की स्थापना एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपेक्षित अन्य सुविधाएं, पर्यावरण संधारणीयता तथा ग्रामीण विकास परियोजनाएं और कोविड राहत पैकेज के लिए तथा टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज के लिए खर्च की गई राशि शामिल है।

खंड ग: अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की कोई अनुषंगी कंपनी/ कंपनियां हैं?	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड नामक, एक पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनी थी, जिसका बाद में 16 जुलाई, 2021 से नाम बदलकर आरईसी पावर डेवलेपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी की एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) का आरईसीपीडीसीएल में विलय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय की व्यवस्था की योजना के अनुसरण में किया गया। इसके अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल की विभिन्न पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां हैं (आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां भी), जो कि समय–समय पर विद्युत मंत्रालय अथवा राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई स्वतंत्र अंतर–राज्यीय/अंतरा–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए शामिल परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) है। ये एसपीवी बाद में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के द्वारा चुने गए सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दी जाती हैं। एसपीवी के ब्यौरे बोर्ड की रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं।
2.	क्या अनुषंगी कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी अनुषंगी कंपनी (कंपनियों) की संख्या इंगित करें।	एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल मुख्य रूप से देश में विद्युत की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाकर, कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व पहलों में भी भाग लेती हैं। कुछेक पहल, जिनमें आरईसीपीडीसीएल शामिल है, इस प्रकार हैं: **क. स्मार्ट–मीटरिंग:** आरईसीपीडीसीएल द्वारा 33/11 केवी सब–स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है और प्रधान मंत्री विकास पैकेज के साथ सरकारी कार्यक्रमों के तहत जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ में उन्नत मीटरिंग अवसंरचना कार्य किया जा रहा है। **ख. ऊर्जा मित्र ऐप** – विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति, आरईसीपीडीसीएल द्वारा विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देशन में सम्पूर्ण भारत में एसएमएस, ई–मेल अथवा पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को आउटेज सूचना के प्रसार के लिए "ऊर्जा मित्र" ऐप चलाया जा रहा है। **ग. 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम:** आरईसीपीडीसीएल "सभी के लिए 24x7 विद्युत" सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की सही तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के विभिन्न मानदंडों जैसे रुकावट, आपूर्ति घंटे आदि की मॉनीटरिंग के लिए 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। **घ. घरों के विद्युतीकरण कार्यों की मॉनीटरिंग** – आरईसीपीडीसीएल द्वारा भारत सरकार की सौभाग्य योजना के अंतर्गत 100% घरों के विद्युतीकरण के लिए ग्राम विद्युत अभियंताओं की अखिल भारतीय तैनाती के माध्यम से मॉनीटरिंग की जा रही है।
3.	क्या कोई अन्य कंपनी/कंपनियां (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं, जो कि कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व (बीआर) पहलों में भाग लेने सहित कंपनी के साथ कारोबार करते हैं? यदि हां, तो ऐसी कंपनी/कंपनियों का प्रतिशत इंगित करें?	आरईसी के कारोबारी सहयोगियों को भी कंपनी की कारोबार उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आरईसी परंपरागत ऊर्जा परियोजनाओं के अपने उधारकर्ताओं से अपेक्षा करती है कि वे अपनी ऋण वितरण शर्तों के भाग के रूप में सभी लागू पर्यावरणीय मानकों का पालन करें। दूसरी ओर, आरईसी सौर, पवन, जैव ईंधन आदि सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण को बढ़ावा देती है। आरईसी पर्यावरण की सुरक्षा के समग्र उद्देश्य से और हानिकारक ऑक्साइड तथा कणिकीय पदार्थों के उत्सर्जन को कम करके पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण तथा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की संस्थापना के लिए वित्तपोषण प्रदान करती है। आरईसी की संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में अग्रणी है। देश भर में ईईएसएल की अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के कारण विद्युत की कम खपत और कम कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है। इसके अतिरिक्त, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) के तहत, ईईएसएल परंपरागत स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर स्मार्ट और ऊर्जा दक्ष एलईडी स्ट्रीट लाइटें, अपनी स्वयं की लागत पर और नगरपालिकाओं के निवेश की जरूरत के बिना भारत भर में प्रतिस्थापित कर रही है। बाद में ऊर्जा और नगरपालिका की रख–रखाव लागत में कमी अपने से उसका प्रयोग, एक समय अवधि में ईईएसएल को पुनर्भुगतान करने में किया जाता है। अभी तक, ईईएसएल ने भारत भर में शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों में 1.19 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रति वर्ष 7.99 बिलियन किलोवाट घंटे की अनुमानित ऊर्जा बचत और 1,332 मेगावाट की व्यस्ततम मांग की बचत, प्रति वर्ष 5.51 मिलियन टन कार्बनडाई ऑक्साइड की जीएचजी उत्सर्जन कमी और नगरपालिकाओं के विद्युत बिलों में 5,631 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक मुद्रा बचत हुई है। ईईएसएल ग्रामीण क्षेत्रों में दक्ष लाइटिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगरपालिकाओं के लिए एसएलएनपी की तरह के सर्विस मॉडल पर *ग्राम पंचायतों* में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है। अभी तक ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा और तेलंगाना के ग्रामीण क्षेत्रों में 26 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।

खंड घः कारोबार उत्तरदायित्व सूचना

1. कारोबार उत्तरदायित्व/कारोबार उत्तरदायित्व शीर्ष के लिए उत्तरदायी निदेशक का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	नाम	श्री संजीव कुमार गुप्ता
2.	पदनाम	निदेशक (तकनीकी)
3.	डीआईएन	03464342
4.	दूरभाष संख्या	+91–124–271 5517
5.	ई–मेल आईडी	skgupta@recl.in

2. सिद्धांत–वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार उत्तरदायित्व नीति/नीतियां

सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियम 34(2)(च) में प्रावधान है कि सर्वोच्च 1000 सूचीबद्ध कंपनियां नीचे दिए गए नौ सिद्धांतों के आधार पर, पर्यावरण, सामाजिक एवं सुशासन के परिप्रेक्ष्य में, उनके द्वारा की गई पहलों का उल्लेख करते हुए, एक संरचित कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट तैयार करेंगीः–

सिद्धांत 1	कारोबार का व्यवहार एवं संचलन नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ स्वयं किया जाना चाहिए। **[नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व]**
सिद्धांत 2	कारोबार के लिए ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता करवाई जानी चाहिए, जो सुरक्षित हों तथा जिनसे उनके उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता को योगदान प्राप्त होता हो। **[उत्पाद के उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता]**
सिद्धांत 3	कारोबार में सभी कर्मचारियों के सुख सुविधा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। **[कर्मचारी सुख सुविधा]**
सिद्धांत 4	कारोबार में प्रत्येक के हितों का सम्मान होना चाहिए तथा यह प्रत्येक हितधारक, विशेषतः वे जो सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हैं, के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए। **[हितधारक संबद्धता]**
सिद्धांत 5	कारोबार के अंतर्गत मानवाधिकारों को सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। **[मानवाधिकार प्रोत्साहन]**
सिद्धांत 6	कारोबार के अंतर्गत पर्यावरण के सम्मान, संरक्षण एवं पुनः बहाली के प्रयास किए जाने चाहिए। **[पर्यावरण संरक्षण]**
सिद्धांत 7	कारोबार के अंतर्गत जन सम्पर्क कार्य एवं विनियामक का निर्वाह उत्तरदायी स्वरूप में किया जाना चाहिए। **[उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन]**
सिद्धांत 8	कारोबार के अंतर्गत समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास में सहायता दी जानी चाहिए। **[समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास]**
सिद्धांत 9	कारोबार के अंतर्गत अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को महत्व देने के साथ उनसे उत्तरदायी स्वरूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। **[ग्राहक मूल्य]**

2(क) अनुपालन का विवरण (उत्तर हाँ/नहीं में दें)

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपके पास ––––––––––––– के लिए कोई नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या नीति का निर्माण संबद्ध हितधारकों के परामर्श से किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या नीति किन्हीं राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो ब्यौरा दें?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
4.	क्या नीति निदेशक मंडल से अनुमोदित है? यदि हां तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/मु.का.अधिकारी/सक्षम निदेशक मंडल के हस्ताक्षर हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी में निदेशक मंडल/निदेशक/नीति कार्यान्वयन की देखरेख करने वाले अधिकारी की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	कृपया नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक दें ?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या नीति का औपचारिक सम्प्रेषण प्रत्येक संबद्ध आंतरिक एवं बाह्य हितधारक को किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी में आंतरिक संरचना स्थापित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में नीति/नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए नीति/नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र व्यवस्था स्थापित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
I0.	क्या कंपनी द्वारा इस नीति की कार्यशैली के स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन के कार्य किसी आंतरिक अथवा बाह्य एजेंसी से करवाए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

टिप्पणीः संबद्ध स्पष्टीकरण/सूचना/लिंक्स इस रिपोर्ट के अनुबंध में दिए गए हैं।

2(ख)	यदि किसी सिद्धांत के प्रति क्रम संख्या (क) का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया उसके कारण स्पष्ट करें।	लागू नहीं
3.	**कारोबार उत्तरदायित्व से संबंधित सुशासन**	
	निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति अथवा मु.का.अधि. द्वारा कंपनी के कारोबार उत्तरदायित्व निष्पादन के मूल्यांकन की आवृत्ति क्या है।	तिमाही एवं वार्षिक आधार पर
	क्या कंपनी कारोबार उत्तरदायित्व अथवा संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने का हाइपरलिंक क्या है? इसके प्रकाशन की आवृत्ति क्या है?	जी, हां। आरईसी द्वारा कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का प्रकाशन अपनी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 की रिपोर्ट देखने के लिए हाइपरलिंक https://www.recindia.nic.in/annual-report-2020-21 है।

खंडः ङः सिद्धांत–वार निष्पादन

सिद्धांत–1 – नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व

1.	क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार को कंपनी की नीति में शामिल किया गया है? हाँ/नहीं। क्या इसका विस्तार समूह/संयुक्त उद्यम कंपनियों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ एनजीओ/अन्यों के लिए किया गया है?	आरईसी की आचार नीति रिश्वत–विरोधी तथा सुशासन रूपरेखा कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा व्यापारिक सहयोगियों के लिए भी विस्तारित है। आरईसी में आचार नीति एवं सुशासन के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विभिन्न नीतियों, संहिताओं एवं नियमों की एक सुपरिभाषित रूपरेखा है, जिसमें शामिल हैं: 1. जालसाजी की रोकथाम के लिए नीति, जिसमें जालसाजी, रिश्वत या भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व निर्धारित है। 2. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र के अंतर्गत वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक व्यवहार, जालसाजी अथवा कंपनी की आचार संहिता या आचार नीति के उल्लंघन से संबंधित उनकी वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए स्थापित की गई है। ऐसे सतर्कता तंत्र के एक अभिन्न अंग के रूप में, आरईसी और/अथवा उसकी अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के भीतर किसी भी अनुचित गतिविधि का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए व्हीसल ब्लोअर नीति भी है। 3. व्यापार आचरण और आचार संहिता, जिसमें निदेशक मंडल के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा पालन किए जाने वाले व्यावहारिक और नैतिक मानकों के प्रावधान है। 4. निष्पक्ष व्यवहार संहिता, जो कंपनी द्वारा अपने ऋण परिचालन में उचित और पारदर्शी व्यवहारों का पालन किए जाने से संबंधित है। 5. आरईसी प्रापण दिशानिर्देश, जिनमें निष्पक्ष और पारदर्शी पद्धति से और साथ ही केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। 6. संबद्ध पक्षकार से संव्यवहार और संबंधित पक्ष के लेन–देन की भौतिकता की नीति, जिसमें संबद्ध पक्षकार लेनदेन से पूर्व की जाने वाली पर्याप्त प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण के निर्धारण है। 7. आरईसी आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली, जिसमें सभी कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता परिभाषित है; और जिसके अनुसार रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि के कृत्य कदाचार के कृत्य माने गए हैं। 8. निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा व्यापार के विनियमन, मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए आचार संहिता, जो इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए है। यह कंपनी के निदेशकों, नामित कर्मचारियों और उनके संबंधियों के साथ–साथ धारक कंपनी, अनुषंगी कंपनियों के निदेशकों, निर्दिष्ट कर्मचारियों और उनके संबंधितों, मध्यस्थों और वैश्वासिकों के संबंध में लागू होती है। 9. मनी लांड्रिंग की रोकथाम और अपने ग्राहक को जानें नीति, जिसमें संदिग्ध सौदों का पता लगाने और सूचित करने के लिए एक नियंत्रण की व्यवस्था है। नैतिकता, निष्पक्षता और पारदर्शिता संबंधी सभी नीतियों, कोड, नियमों आदि का भी आरईसी की अनुषंगी कंपनियों और अन्य हितधारकों द्वारा, जहां कहीं लागू है, अनुसरण किया जाता है। कंपनी की सुशासन के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता को विभिन्न मंचों पर मान्यता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) द्वारा "10वां पीएसई एक्सीलेंस अवार्ड फॉर कारपोरेट गवर्नेंस" नवरत्न और महारत्न श्रेणी में उप–विजेता के रूप में प्रदान किया गया था।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त की गई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार, सतर्कता की प्रक्रिया के अंतर्गत 11 शिकायतें थीं और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान 2 और शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सभी 13 शिकायतों का वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान निपटान कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, पीआईडीपीआई श्रेणी के तहत 3 शिकायतें प्राप्त हुई और 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति के अनुसार समीक्षाधीन थीं, जिनका वर्ष के दौरान निपटान कर दिया गया था।

सिद्धांत–2 – उत्पाद की उपयोगिता अवधि में संधारणीयता

1.	अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची प्रस्तुत करें जिन्हें सामाजिक अथवा पर्यावरणीय दृष्टिकोण, जोखिम और/अथवा अवसरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।	अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एक एनबीएफसी होने के नाते, आरईसी द्वारा प्रस्तावित मुख्य उत्पादों में समग्र विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में उधारकर्ताओं के लिए रुपे सावधि ऋण, अल्पावधिक और मध्यावधिक ऋण आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी देश में विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी योगदान करती है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषण के लिए, आरईसी की एक सुपरिभाषित नीति व्यवस्था और प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने 3,759 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता के साथ 40 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 17,171.34 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। आरईसी वर्ष 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार घटक के संबंध में सूचीबद्ध ग्रीन बांडों के जरिए अंतर्राष्ट्री बाजारों से धनराशि जुटाने वाला प्रथम भारतीय पीएसयू भी है। ग्रीन बांडों की अवधि 10 वर्षों की है। ग्रीन बांडों की आय क्लाइमेट बांड स्टैंडर्ड के अनुसार पात्र ग्रीन परियोजनाओं के वित्तपोषण अथवा पुनर्वित्तपोषण के लिए लागू होती है। *आत्मनिर्भर भारत* के भाग के रूप में भारत सरकार की लिक्विडिटी निषेचन योजना के तहत, आरईसी ने 60,191.36 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया और वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न डिस्कॉमों को 39,115.50 करोड़ रुपये की राशि वितरित की। इन ऋणों से डिस्कॉमों को विद्युत उत्पादकों को भुगतान करने और इससे कोविड–19 महामारी के चलते विद्युत क्षेत्र के समक्ष आई नकदी की समग्र समस्या को सुधारने में मदद मिली है। आरईसी सरकार के सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण कार्यक्रम अर्थात सौभाग्य योजना के लिए नोडल एजेंसी भी है। पिछले वर्षों में विद्युतीकृत घरों के अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 4.93 लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया था।
2.	ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति यूनिट संसाधन उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें। i. पिछले वर्ष से सम्पूर्ण चेन में सोर्सिंग/उत्पादन/संवितरण के दौरान कितनी कमी आई है। ii. उपभोक्ताओं द्वारा पिछले वर्ष से कितनी कमी (ऊर्जा, जल) आई है?	कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को विचार में लेते हुए, इन प्रश्नों की उपयोज्यता सीमित है। एक गैर – बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते, आरईसी ने अपने संसाधन उपयोग को मुख्यतः विद्युत, कार्यालय आपूर्तियों और संचार अथवा आईटी उपकरण तक सीमित किया है। आरईसी ने अपने संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। कंपनी ने हाल ही में, गुरूग्राम, हरियाणा में अपना नया कारपोरेट कार्यालय शुरू किया है, जो कि एक गृह 5–स्टार रेटिंग वाला नेट जीरो भवन है। भवन में एयर कंडीशनिंग के लिए विद्युत खपत को 30% तक एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), ऑटोमेटेड सेंसर नियंत्रित लाइटिंग, बायो क्लाइमेटिक ग्लास फेकेड व मोटरयुक्त ब्लाइंड्स और अन्य नवीनतम प्रौद्योगिकीय विशेषताएं हैं, जो विद्युत की खपत को कम करती हैं। भवन में इसकी विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक 964 केडब्ल्यूपी का सौर संयंत्र भी है। पहले वर्ष में विद्युत की 16.7 लाख यूनिट उत्पन्न करने के लिए अधिक सक्षम सौर पैनल (क्षमता>21%) स्थापित की गई है। कागज की खपत को न्यूनतम करने के लिए, आरईसी देश भर में अपने सभी कार्यालयों में "ई–ऑफिस" प्रणाली का उपयोग करती है। आरईसी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यकर सावधानियां बरतते हुए कारोबार जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर कोविड–19 महामारी के बाद सुरक्षित आईटी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के जरिए रिमोट वर्किंग पद्धति का सक्रिय उपयोग किया है। एक संगठन के रूप में, कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सचेत है और इसमें कमी लाने के लिए यथासंभव आवश्यक कदम उठा रही है।
3.	क्या कंपनी में संधारणीय स्रोत (परिवहन सहित) के लिए कोई प्रक्रिया विद्यमान है? (क) यदि हां, तो आपके इनपुट में से कितना प्रतिशत संधारणीयता के लिए स्रोत किया जाता है? इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	कम संसाधन गहन और सीमित खरीद के बावजूद, आरईसी अपनी सभी भौतिक आवश्यकताओं के लिए जिम्मेदार स्रोत सुनिश्चित करता है। कंपनी अपनी सभी खरीद में जेम पोर्टल (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस) को बढ़ावा देती है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के विक्रेताओं से सोर्सिंग को भी बढ़ावा देती है। सामग्री और सेवाओं की सभी खरीद और सोर्सिंग आरईसी के प्रापण दिशानिर्देशों में परिभाषित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है।
4.	क्या कंपनी ने अपने कार्य स्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं के प्रापण के लिए कोई कदम उठाए हैं? (क) यदि हां, तो स्थानीय और छोटे वेंडरों की क्षमता और सक्षमताओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?	आरईसी सक्रिय रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को प्रोत्साहित करता है, जिसमें अ.जा./ अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यम भी शामिल हैं। कंपनी के प्रापण दिशानिर्देशों के अनुसार, इसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विक्रेताओं से 10 लाख रूपए तक के मूल्य के कुछ सामानों और सेवाओं का 100% उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को 50% तक मूल्य वरीयता देने की भी अनुमति दी है, जिसमें से 20% अ.जा./अ.ज.जा. और महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित है। आरईसी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को विभिन्न छूटें प्रदान करती है। आरईसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने वाले सरकार के *संबंध, समाधान* और टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली) पोर्टल पर पंजीकृत है। आरईसी समय–समय पर विभिन्न औद्योगिक निकायों और संघों द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भी भाग लेती है।

5.	क्या कंपनी में उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल करने की कोई तंत्र व्यवस्था विद्यमान है? यदि हां, तो उत्पादों और अपशिष्ट के रीसाइकल का प्रतिशत क्या है? इससे संबंधित ब्यौरा भी लगभग 50 अथवा अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	कंपनी के कारोबारी प्रचालन इस प्रकृति के हैं कि वहां संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग है और कम कचरा उत्पादन होता है। तथापि, कंपनी ई–कचरे सहित अपने समस्त कचरे का जिम्मेदारी से निपटान सुनिश्चित करती है, जिसका निपटान सरकारी पंजीकृत ई–कचरा पुनर्चक्रण करने वाले करते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रीन पहल और कागज रहित वातावरण के लिए केंद्रीकृत स्केनिंग सॉल्यूशन का कार्यान्वयन किया गया है।

सिद्धांत–3 – कर्मचारी सुख सुविधा

1.	कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कुल 428 कर्मचारी कार्यरत थे।
2.	कृपया अस्थायी / संविदागत / अनियमित आधार पर लगाए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी द्वारा 03 कर्मचारी संविदा आधार पर लगाए गए हैं। कंपनी समय–समय पर संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्ति एजेंसियों के माध्यम से अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करती है।
3.	कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 70 स्थाई महिला कर्मचारी कार्यरत हैं जो स्थाई कर्मचारियों का 16.36% है।
4.	कृपया स्थायी दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या बताएं।	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 12 *दिव्यांग* कर्मचारी हैं जो स्थाई कर्मचारियों का 2.80% है।
5.	क्या आपके यहां कोई कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो?	जी, हाँ। आरईसी में गैर–सुपरवाइजरी स्थायी कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियन तथा एक कार्यकारी एसोसिएशन है।
6.	कितने प्रतिशत स्थायी कर्मचारी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?	कंपनी के नियमित कर्मचारी या तो आरईसी के कर्मचारियों की यूनियन अथवा कार्यकारी एसोसिएशन के सदस्य हैं।
7.	कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल मजदूरी, बलात श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न की प्राप्त शिकायतों की संख्या बताएं और वित्तीय वर्ष के अंत तक कितनी शिकायतें लंबित हैं।	कंपनी न तो बाल श्रम, बलात श्रम, अनैच्छिक श्रम को किसी भी स्वरूप में अनुबंधित करती है और न ही रोजगार व्यवहारों के लिए किसी प्रकार के पक्षपात पूर्ण व्यवहार का उपयोग करती है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी को बाल श्रम, बलात श्रम, अनैच्छिक श्रम अथवा यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है और 31 मार्च, 2021 तक कोई शिकायत लंबित भी नहीं थी। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक उचित फ्रेमवर्क है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुरूप महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत के निवारण के लिए कंपनी में एक 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है और इसमें एक गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि को इसके एक सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। आरईसी की यौन उत्पीड़न विरोधी अभिमुखता को इसके आचरण, अनुशासन और अपील नियमों में भी उल्लिखित किया गया है।
8.	आपके द्वारा उल्लिखित कर्मचारियों में से कितनों को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया है?	कोविड–19 महामारी को देखते हुए, सभी कर्मचारियों को कोविड के अनुसार व्यवहार के बारे में और स्वयं तथा अपने परिवार के लिए उपयुक्त सावधानी रखने की जानकारी दी गई। उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी के 41.82% स्थायी कर्मचारियों, 65.71% स्थायी महिला कर्मचारियों और 50% स्थायी *दिव्यांग* कर्मचारियों को तकनीकी कौशल उन्नयन, मानसिक, स्वास्थ्य और व्यवहार प्रशिक्षण दिए गए थे, जो कुल मिलाकर 329 प्रशिक्षण श्रम दिवस हैं। कंपनी का एक प्रशिक्षण संस्थान यथा आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी) हैदराबाद में है, जहां नए कर्मचारियों हेतु अभिमुखी सत्र, विभिन्न कार्यशील शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और मध्यम स्तर व वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों हेतु अन्य प्रबंध विकास कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत–4 – हितधारक संबद्धता

1.	क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों का निर्धारण किया है? हाँ/नहीं।	जी, हाँ। आरईसी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों का निर्धारण किया है। आंतरिक हितधारकों में कंपनी के कर्मचारी और स्टाफ शामिल हैं; और बाह्य हितधारकों में इक्विटी शेयरधारक, बॉन्डहोल्डर, लेनदार, बैंकर, उधारकर्ता और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से ग्राहक, सरकारी निकाय और विनियामक प्राधिकरण शामिल हैं जिनमें राज्य सरकारें, भारतीय रिजर्व बैंक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इत्यादि शामिल हैं।

2.	उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों का निर्धारण किया है ?	जी, हाँ। आरईसी ने अपने सुविधाहीन, अधिकारों एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों की पहचान की है। कंपनी ने उनके सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित सक्रिय उपाय किए हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर, आरईसी ने कई वर्षों के समर्पित प्रयासों से देश में ग्रामीण और घरों के विद्युतीकरण को हासिल करने के लिए योगदान दिया है। अपनी सीएसआर पहलों के भाग के रूप में, कंपनी ने आकांक्षी जिलों के विकास और समाज के वंचित और हाशिए के तबकों की सहायता के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। आरईसी अपनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में, एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व सहित एमएसएमई को बढ़ावा देती है। आरईसी की अपने कर्मचारियों के लिए, विशेषकर जो कमजोर हैं, कल्याणकारी नीतियां हैं, जो पोषण और देख–रेख का वातावरण प्रदान करती हैं। इसमें समान अवसर की नीति, सेवानिवृत्ति के बाद का चिकित्सा लाभ, मृत्यु या विकलांगता के मामले में पुनर्वास आदि शामिल हैं। कंपनी ऐसे इक्विटी शेयरधारकों तक नियमित रूप से पहुँचने का प्रयास करती है, जिनके पास दावा न किए गए/भुगतान न किए गए लाभांश की राशि है और कंपनी के पास शेयर पड़े हैं ताकि से निवेशक अपनी उचित शेयर और लाभांश राशि प्राप्त करने से वंचित न हों।
3.	क्या सुविधाहीन, असुरक्षित एवं अधिकारों से वंचित हितधारकों की सेवाओं के लिए कंपनी द्वारा कोई विशेष उपाय किए गए हैं? यदि हां तो 50 अथवा अधिक शब्दों में विवरण प्रस्तुत करें।	सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और विगत की अन्य योजनाओं के तहत ग्राम विद्युतीकरण और घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान के बाद, आरईसी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान देश में 4.93 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान दिया है। कंपनी ने अपनी सीएसआर पहलों के तहत, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की सहायता के लिए अनेक परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. कम विद्युतीकृत क्षेत्रों में सौर लालटेनों का वितरण, एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना और सौर पीवी प्रणाली की स्थापना ताकि कार्बन फुटप्रिंट में कमी हो सके। 2. प्रवासी कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोन्मेषी मोबाइल स्कूलों की सहायता प्रदान करना। 3. रोजगार के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना। 4. विज्ञान प्रयोगशालाओं, कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं, लाइब्रेरी का उन्नयन करके स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, बच्चों के लिए डिजिटल क्लास रूम की स्थापना करना, मध्याह्न भोजन की पूर्ति के लिए केंद्रीकृत रसोई की डिलीवरी क्षमता में सुधार लाने के लिए कन्वेयर बेल्ट सिस्टम आदि। 5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुविधाएं प्रदान करना। 6. स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में अवसंरचना और सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन, रेडियोथैरेपी यूनिट, ब्लड बैंक सह प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण, समाज के कमजोर वर्गों से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वस्तुओं और उपकरणों का वितरण। 7. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण। 8. आदिवासी बच्चों के लिए अध्ययन, खाना, रिहायश और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की सहायता करना। 9. *दिव्यांग बच्चों* के लिए अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र का निर्माण। 10. सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए निःशुल्क बीज प्रदान करना।

सिद्धांत–5 – मानवाधिकारों को प्रोत्साहन

1.	क्या मानवधिकार पर कंपनी की नीति में केवल कंपनी को ही शामिल किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रम / आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / एनजीओं / अन्यों पर भी लागू होती है?	आरईसी "द यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट" का एक सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का पालन करता है, जिसके लिए सार्वभौमिक सहमति प्राप्त है और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, मूलभूत सिद्धांतों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा और कार्य के अधिकारों, पर्यावरण एवं विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई रियो घोषणा पर आधारित हैं। कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मानवाधिकार के अंतर्गत कंपनी और उसकी अनुषंगी कंपनियों को शामिल किया गया है। आरईसी के कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, आरईसी ने कर्मचारी कानूनों को सामान्य कानूनों और नियमों और प्रबल आचरण व्यवहारों के अनुरूप अपनाया है। कंपनी कार्यस्थलों पर विविधता सुनिश्चित करती है और यह मानती है कि उन्नति गुण और निष्पादन पर आधारित है और समान अवसरों के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी एक सुरक्षित और सामाजिक वातावरण और सामान्य रूप से मानव कल्याण पर भी जोर देती है, जिसमें सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण शामिल है।
2.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कितने हितधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा प्रबंधन द्वारा कितनी प्रतिशत शिकायतों का समाधान संतोषजनक रूप में किया गया है?	कंपनी को मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी हितधारक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सिद्धांत–6 – पर्यावरण संरक्षण

1.	क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति में केवल कंपनी को ही शामिल किया गया है अथवा यह समूह/संयुक्त उपक्रमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों पर भी लागू होती है।	कंपनी सभी हितधारकों को पर्यावरण संरक्षण एवं संधारणीयता पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कंपनी की नीति और दिशानिर्देश सिद्धांत सभी समूह कंपनियों और ऋणकर्ताओं के लिए लागू हैं।
2.	क्या कंपनी में वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के समाधान की कार्यनीतियां/पहलें स्थापित हैं। हाँ/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ इत्यादि का हाइपरलिंक प्रस्तुत करें।	वर्ष 2022 तक 227 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वित्तपोषण को बढ़ावा दे रही है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां 17,171.34 करोड़ रुपये की थीं, जो विगत वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा के तहत की गई स्वीकृतियों की करीब डेढ़ गुना हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कंपनी की नीतियों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि इस ऊर्जावान क्षेत्र की उभरती जरूरतों की पूर्ति हो सके। अभी तक आरईसी ने एक हरित भविष्य के देश की ओर बदलाव में सहायता के लिए करीब 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं वित्तपोषित की हैं। आरईसी वर्ष 2017 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार घटक के संबंध में सूचीबद्ध ग्रीन बांडों के जरिए अंतर्राष्ट्री बाजारों से धनराशि जुटाने वाला प्रथम भारतीय पीएसयू भी है। ग्रीन बांडों की अवधि 10 वर्षों की है और ग्रीन बांडों की कार्यवाही क्लाइमेट बांड स्टैंडर्ड के अनुसार पात्र ग्रीन परियोजनाओं के वित्तपोषण अथवा पुनर्वित्तपोषण के लिए लागू होती हैं। आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय मानकों को कारपोरेट वेबसाइट https://www.recindia.nic.in/renewables से प्राप्त कर सकते हैं।
3.	क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन कर रही है? हां/नहीं	आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आरईसी अपनी सभी विद्युत वित्तपोषण परियोजनाओं के लिए अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में परियोजनाओं के संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करती है। यदि कोई पर्यावरणीय समस्या है, तो ध्यानपूर्वक, स्थल दौरे करके और लागू अनुपालना की समीक्षा इत्यादि के जरिए उनकी पहचान की जाती है। आरईसी सरकारी निर्देशों के अनुसार ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना के लिए भी वित्तपोषण कर रही है। इसमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), सिलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन (एससीआर) और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स (ईएसपी) की स्थापना शामिल है, जो नुकसानदायक उत्सर्जनों और पार्टिकुलेट मैटर को कम करने में योगदान देते हैं।
4.	क्या कंपनी में कोई परियोजना संबंधी स्वच्छ विकास तंत्र विद्यमान है? यदि हां तो 50 या अधिक शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें। इसके अलावा, क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी फाइल की गई है?	आरईसी ने सौर, पवन, बायोमास परियोजनाओं और ई–मोबिलिटी सहित देश भर की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण के लिए विभिन्न नीतियां शुरू की हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने 3,759 मेगावाट की समग्र संस्थापित उत्पादन क्षमता के साथ 40 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुल 17,171.34 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत की थी। इसमें 20 सोलर फोटोवोल्टेक परियोजनाएं (2,902 मेगावाट), 4 पवन ऊर्जा परियोजनाएं (706 मेगावाट), 1 सौर पवन हाइब्रिड परियोजना (150 मेगावाट), 1 सौर मॉड्यूल और सेल विनिर्माण परियोजना (2000 एमडब्ल्यूपी), कुसुम योजना के तहत 3 सौरीकरण परियोजनाएं, 1 लघु जल–विद्युत परियोजना (1 मेगावाट), हाइडल संयंत्रों की मरम्मत और रख–रखाव की 6 परियोजनाएं और कुल 902 ई–बसों की खरीद में शामिल 4 ई–वाहन परियोजनाएं शामिल हैं।
5.	क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पृष्ठ का हाइपर लिंक दें।	आरईसी ने हाल ही में गुरूग्राम, हरियाणा में अपने नए कारपोरेट कार्यालय से काम करना शुरू कर दिया है। यह भवन गृह–5 स्टार रेटिंग नेट जीरो बिल्डिंग है, जिसमें उचित फिनिश सफेद कंक्रीट सरफेस, उठी हुई फ्लोरिंग, एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस), ऑटोमेटेड सेंसर नियंत्रित लाइटिंग, बायो क्लाइमेटिक ग्लास फेकेड के साथ मोटरयुक्त ब्लाइंड और ऑडिटोरियम जैसी खास विशेषताएं हैं। भवन में एयर कंडीशनिंग के लिए विद्युत की खपत को 30% तक कम करने के लिए रेडिएंट कूलिंग स्लेब भी है। इसके अतिरिक्त, भवन की छत पर 964 केडब्ल्यूपी का एक सौर संयंत्र (परगोला संरचना द्वारा समर्थित) भी है, जिसमें प्रथम वर्ष में 16.7 लाख यूनिट विद्युत उत्पन्न होगी। आरईसी ने स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने, सरकारी स्कूलों में सौर पीवी प्रणाली द्वारा संचालित वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषण के उपयोग के लिए जागरूकता और बायो संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन इत्यादि के लिए कम विद्युतीकृत क्षेत्रों में सौर लालटेन का वितरण, एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइट, सौर पीवी प्रणाली की स्थापना और चालू करने के लिए सीएसआर के तहत कई पहलें भी की हैं।
6.	क्या सूचित किए जा रहे वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमति सीमा में हैं?	आरईसी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। इसलिए दिए गए प्रश्न की प्रासंगिकता सीमित है। तथापि, कंपनी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में लागू पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी वित्तपोषित की गई सभी परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं पर उचित परिश्रम करती है।
7.	वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीएसबी/एसपीसीबी बोर्ड से प्राप्त कितने कारण बताआ नोटिस/कानूनी नोटिस लम्बित हैं (अर्थात जिनका संतोषजनक स्तर पर समाधान नहीं हो पाया)।	आरईसी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कोई कारण बताओ या कानूनी नोटिस नहीं मिला है।

सिद्धांत–7 – उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन

1.	क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड तथा चेम्बर या किसी संघ की सदस्य है? यदि हां, तो केवल प्रमुख के नाम बताएं जिनके साथ आपके व्यावसायिक संबंध हैं।	जी, हाँ। आरईसी विभिन्न राष्ट्रीय व्यापार मंडलों, संघों आदि की सदस्य है, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई), द एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), केन्द्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा बोर्ड (सीबीआईपी), वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्ल्यूईसी), स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), पावर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (आईपीई) और यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट शामिल हैं। आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के साथ एक समझौता भी किया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी सरकार के ई–मार्केटप्लेस (जैम) पोर्टल पर पंजीकृत है। विद्युत क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों में आरईसी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी समय–समय पर शामिल होते हैं।
2.	क्या आपने कभी सार्वजनिक कल्याण की प्रगति अथवा सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से चर्चा की है/सहयोग प्राप्त किया है। यदि हां तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें।	कंपनी अपने कारोबार और प्रचालनों के जरिए देश में विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में सक्रिय भागीदारी करती है। कंपनी विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके लोगों की भलाई के लिए भी योगदान दे रही है। कंपनी ने समय–समय पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षमता और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मुद्दों को उपयुक्त मंचों पर उठाया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विद्युत क्षेत्र से संबंधित मामलों पर जन जागरूकता फैलाती है।

सिद्धांत–8 – समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास

1.	क्या कंपनी का सिद्धांत–8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें।	आरईसी विभिन्न समूहों से अपने सभी कर्मचारियों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसने एक समान अवसर की नीति कार्यान्वित की है। एक ऋणप्रदाता के रूप में, आरईसी पूर्वोत्तर में विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी ऋण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, कोविड–19 महामारी में, आरईसी ने देश में नकदी की तंगी वाले डिस्कॉमों को लिक्विडिटी निषेचन भी प्रदान किया है। आरईसी ने अपनी सीएसआर पहलों के तहत, आकांक्षी जिलों जैसे ओडिशा में गजपति, मिजोरम में ममित, नागालैंड में किफायर, बिहार में मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर, मणिपुर में चंदेल और सिक्किम में वेस्ट सिक्किम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए और कुपोषण को कम करने के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए सहायता की है। आरईसी ने देश में भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) और अन्य योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में ग्राम और घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान दिया है।
2.	क्या कार्यक्रमों/आंतरिक दलों के माध्यम से शुरू की गई परियोजनाएं/अपनी फाउंडेशन / बाह्य एनजीओ /सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से निष्पादित किया जाता है?	आरईसी स्वयं या अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से समावेशी विकास और समान विकास करती है। इसके अतिरिक्त, एक पंजीकृत सोसायटी, "आरईसी फाउंडेशन" के माध्यम से आरईसी की सीएसआर पहलें की जाती हैं। आरईसी फाउंडेशन कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति के अनुसार विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है।
3.	क्या आपने अपने प्रयासों का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?	आरईसी ने सौभाग्य, डीडीयूजीजेवाई और विगत की अन्य योजनाओं के तहत ग्राम विद्युतीकरण और घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान देने के बाद, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान देश में 4.93 लाख घरों के विद्युतीकरण के लिए योगदान दिया है। कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति में निर्दिष्ट स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सीएसआर पहलों का प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सीएसआर पहलों की प्रगति और प्रभाव की मॉनीटरिंग तथा मूल्यांकन किया जाता है। इस संबंध में, संगत सूचना इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है।
4.	सामुदायिक विकास की परियोजनाओं में कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – भारतीय रुपए में किए गए व्यय तथा परियोजनाओं का विवरण दें।	सामुदायिक विकास परियोजनाएं कंपनी द्वारा समय–समय पर की गई विभिन्न सीएसआर पहलों का एक अभिन्न अंग होता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, आरईसी ने विभिन्न सामुदायिक विकास पहलों के लिए 28 करोड़ रुपये (लगभग) का व्यय किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. उत्तराखंड में केदारनाथ के कस्बों और आस–पास के क्षेत्रों का अवसंरचना विकास। 2. पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइटें लगाना। 3. कन्नूर, केरल में सरकारी स्कूल में ऑडिटोरियम का निर्माण। 4. ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड में पंडित राम सुमेर शुक्ला स्मृति गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अवसंरचना विकास। 5. बिहार के 14 जिलों में कैंसर जांच और बुनियादी कैंसर केयर सर्विस का सुदृढ़ीकरण। 6. पश्चिम बंगाल, नागालैंड और दादर व नागर हवेली में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए कोल्ड चेन उपकरण प्रदान करना। 7. गरीब किसानों के लिए निःशुल्क बीज (खरीफ के मौसम में) वितरण 8. पोषण और फूड सिक्योरिटी में सुधार के लिए स्वदेशी खाद्य प्रणालियों में सुधार 9. 3000 से अधिक घरों के लिए सतत तौर पर जीविका उत्पन्न करना।

5.	क्या आपने सामुदायिक विकास प्रयासों को समाज द्वारा सफलतापूर्वक अंगीकार किए जाने को सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं? कृपया 50 अथवा अधिक शब्दों में वर्णन करें।	आरईसी की कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति के अंतर्गत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार आरईसी के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की सफलता की नियमित रूप से मॉनीटरिंग और समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी कार्यान्वन एंजेसियों और लाभार्थियों सहित अपने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कारती है और ऐसे कार्यक्रमों में आगे सुधार के लिए उनके फीडबैक प्राप्त करती है।

सिद्धांत–9 – उपभोक्ता मूल्य

1.	वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं।	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के शेयरधारकों/निवेशकों से प्राप्त सभी शिकायतों का 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार संतोषजनक रूप से निवारण कर दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी की निष्पक्ष व्यवहार संहिता के तहत कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, आरईसी के पास 4 उपभोक्ता मामले लंबित हैं, जिसमें से 1 मामला निवेशक द्वारा दायर किया गया है और 3 मामले आरईसी द्वारा दायर किए गए हैं जिनका आरईसी के सर्वोत्तम हित में निपटान किया जाएगा।
2.	क्या कंपनी अपने उत्पादों के लेबल में उत्पादों की सूचना प्रदर्शित करती है जो कि स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य हैं? हाँ/नहीं/लागू नहीं/अभ्युक्ति	कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है, अतः यह सुनिश्चित करती है कि उसके ऋण करारों और उधाकर्ताओं के साथ अन्य पत्राचार के संबंध में पर्याप्त प्रकटन कारपोरेट वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएं। कंपनी ने अपने उधारकर्ताओं को कंपनी के ईआरपी पोर्टल तक सीधे पहुंच प्रदान की है, ताकि उन्हें वास्तविक समय के आधार पर अपने ऋण और आरईसी की योजनाओं आदि की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके।
3.	क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनैतिक कारोबार पद्धति, अनियमित विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के संबंध में किसी हितधारक द्वारा कंपनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है? यदि हां, तो इसका ब्यौरा 50 या अधिक शब्दों में प्रस्तुत करें।	आरईसी, अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ, कानून के फ्रेमवर्क के दायरे में नीतिपरक व्यवहारों और नीतिपरक व्यापार आचरण के उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के अंत में, अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धी–विरोधी व्यवहार से संबंधित कोई मामला आरईसी में लंबित नहीं था। वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी यथा आरईसीपीडीसीएल के खिलाफ जांच का आदेश दिया था जो किसी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई जानकारी (नाम का खुलासा नहीं) पर आधारित है। इसके बाद सीसीआई ने आरईसीपीडीसीएल के पक्ष में मामले का निपटारा किया, जबकि यह देखते हुए कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन आरईसीपीडीसीएल और अन्य के खिलाफ नहीं किया गया था। इस मामले को वर्ष 2016–17 में बंद करने का आदेश दिया गया था।
4.	क्या आपकी कंपनी किसी प्रकार का ग्राहक सर्वेक्षण/ग्राहक संतुष्टि रूझान करती है?	आरईसी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास करती है जिसमें वह न केवल प्रतिस्पर्धी उत्पाद पेश करती है बल्कि उनकी जरूरतों और सामने आई समस्याओं, यदि कोई हों, को नियमित चर्चा करके उन्हें समझती भी है। वरिष्ठ प्रबंधन ग्राहकों के समक्ष आई समस्याओं का नियमित रूप से शीघ्र समाधान सुनिश्चित करता है। कंपनी, समय–समय पर अपने भारतीय प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, हैदराबाद के माध्यम से, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी करती है। 2019 में किए गए विगत सर्वेक्षण के समग्र ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) का स्कोर 93.04% था, जो औसत अमेरिकी ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (एसीएसआई) के अनुसार बैंकिंग सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ है।

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट का अनुबंध

पी1	**नैतिकता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व** आरईसी अपने व्यापारिक क्रियाकलापों में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को अत्यधिक महत्व देता है। इस संबंध में बनाई गई विभिन्न नीतियां, कोड और नियमावली में निम्नलिखित शामिल हैं: –

नीति का नाम	वेबलिंक
जालसाजी रोकथाम नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Revised-Fraud-prevention-policy-of-REC-13082020.pdf
व्हीसल ब्लोअर नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Whistle_Blower_Policy.pdf
कारोबार आचार संहिता और व्यवहार संहिता	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf
निष्पक्ष व्यवहार संहिता	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Fair-Practices-Code.pdf
संबद्ध पक्षकार संव्यवहार की वस्तुपरकता एवं संबद्ध पक्षकार संव्यवहार नीति	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/RPTPolicyREC-230821.pdf
आचार संहिता का विनियमन, मॉनीटरिंग तथा निर्दिष्ट व्यक्तियों एवं उनके तत्काल निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग किए जाने तथा निष्पक्ष प्रकटन के लिए रिपोर्टिंग	https://www.recindia.nic.in/uploads/files/cs-revised-insider-trading-code-submitted-to-stock-exchanges-dt070619.pdf

	उपरोक्त के अलावा, अन्य नीतियां और नियम हैं, जो कंपनी के आंतरिक दस्तावेज हैं और इंट्रानेट पर केवल कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।
पी2	**उत्पाद के उपयोज्यता क्रम में संधारणीयता** कंपनी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है जो वित्तीय उत्पादों की प्रस्तुति करती है, जिसमें पर्यावरण संधारणीयता के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण शामिल हैं। कंपनी के उत्पादों और सेवाओं का विवरण https://www.recindia.nic.in/financial-products पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी की सीएसआर और संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives पर उपलब्ध है।
पी3	**कर्मचारी सुख सुविधा** कंपनी ने सामान्य कानूनों और विनियमों तथा सशक्त नैतिक प्रक्रियाओं के अनुरूप विभिन्न कर्मचारी अभिमुखी नीतियां अपनाई हैं। ऐसी नीतियां सामान्यतः निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती हैं और इंट्रानेट पर कंपनी के कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं।
पी4	**हितधारक संबद्धता** कंपनी अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करती है, जिसमें वंचित, कमजोर और हाशिए के तबके के शामिल हैं। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर और संधारणीयता नीति के माध्यम से समावेशी विकास की दिशा में काम करती है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives पर उपलब्ध है।
पी5	**मानवाधिकार को प्रोत्साहन** आरईसी हर तरह से मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रयास करती है। कंपनी के पास निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता (कोड) है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा को ध्यान में रखने इससे बचने के लिए भी किसी भी आधार पर भेदभाव की रोकथाम के लिए प्रबंधन सदस्यों पर नैतिक अनिवार्यता है। यह कोड https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Code_Business_Conduct_Ethics.pdf पर उपलब्ध है।
पी6	**पर्यावरणीय संरक्षण** विद्युत क्षेत्र में एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग बढ़ा रही है। आरईसी के नवीकरणीय ऊर्जा हेतु वित्तपोषण मानक https://www.recindia.nic.in/renewables पर उपलब्ध हैं।
पी7	**उत्तरदायी लोक नीति का समर्थन** आरईसी सार्वजनिक और नियामक नीति से संबंधित मामलों में एक सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त, आरईसी की जनता के साथ व्यापक चर्चा विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर अनुसरण की जा सकती है।
पी8	**समावेशी विकास एवं न्यायोचित विकास** आरईसी के पास अपने सभी हितधारकों के समावेशी विकास और समान विकास में सहायता के लिए विभिन्न नीतियां हैं जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से सार्वजनिक खरीद की नीति (https://www.recindia.nic.in/uploads/files/Public_Procurement_Policy.pdf), अपने कर्मचारियों के लिए समान अवसर की नीति (आरईसी इंट्रानेट पर उपलब्ध), हरित–ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आकर्षण ऋण की दरें (https://www.recindia.nic.in/renewables) और कारपोरेट सामाजिक विकास एवं संधारणीयता नीति भी (https://www.recindia.nic.in/our-csr-initiatives) पर उपलब्ध है।
पी9	उपभोक्ता मूल्य आरईसी के पास बोर्ड से अनुमोदित एक "फेयर प्रेक्टिस कोड" है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी द्वारा अपने ऋण प्रचालनों में ग्राहकों के साथ संपर्क करते समय उचित और पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाई जाएं। कोड https://www.recindia.nic.in/uploads/files/fair-Practices-code.pdf पर उपलब्ध है।

सभी नीतियां और प्रक्रियाओं की समय–समय पर निदेशक मंडल/वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।